

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

सं०सं०-17/विविध-01-32/2025

पटना, दिनांक:- / /2026

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र (सत्र-2019-2022) को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	विषय	सत्र/उत्तीर्ण संस्थान चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रायोजन
01	02	03	04	05	06
01	SAURABH RAJ	06-10-1990	MD (GENERAL MEDICINE)	(2019-22) NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	BTSC, Patna द्वारा प्रकाशित SMO के पद पर साक्षात्कार/काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु तथा BCECEB, Patna द्वारा प्रकाशित सीनियर रेजिडेंट के पद पर साक्षात्कार/काउंसिलिंग हेतु।

- बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बिहार राज्य में अनिवार्य सेवा पूरी करेंगे।
- उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई विसंगति का मामला संज्ञान में आता है, तो तदनुसार निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध-01-32/2025 - 172(17) पटना, दिनांक:- 06/02/2026  
प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।